बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 182310 / पटना, दिनांक 2/4/2014

सं0सं0- ग्रा0वि0 -6 (SGYS) - 02/ 08 खंड- 1

प्रेषक,

कनक बाला,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिनांक- 31.12.2011 तक कराये गये कार्यों की राशि का भुगतान हेतु निर्देश देने के संबंध में ।**

प्रसंग:- BRLPS/ Proj /490/13 / 5786 दिनांक- 06.03.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा आपको स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGYS) के अंतर्गत दिनांक- 31.12.2011 तक कराये गये कार्यों की राशि की भुगतान दिनांक- 31.10.2013 तक कर देने का अनुरोध किया गया था, जिसे विभागीय पत्रांक- 177140 दिनांक- 20.02.2014 तक विस्तारित करते हुए अव्यवहृत अवशेष राशि का SRLM के खाते में हस्तान्तरित कर देने का निदेश दिया गया था, परन्तु वांछित कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है ।

अतएवं अनुरोध है कि उक्त निदेश का अविलंब अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को भेजी जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

31/3/14

(कनक बाला)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक 182310 पटना, दिनांक 2/4/2014

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/14

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

हिन्दी आवेदन-156 (Ajeet kr. Singh D.Drive)

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

बिहार सरकार

संदर्भ स0: दिनांक:

सेवा में

उप विकास आयुक्त,
सभी जिले, बिहार।

विषय: **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(SGSY) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2013 के बाद अव्ययित अवशेष की राशि का एस0आर0एल0एम0(SRLM) खाते में हस्तांतरण। ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग बिहार के पत्रांक 15927 दिनांक 12.08.2013 का कृपया सन्दर्भ करें(छायाप्रति संलग्न)। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) कार्यक्रम को समाप्त कर इस मद में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास दिनांक 31.03.2013 का अव्ययित अवशेष राशि को एस0आर0एल0एम0(राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के खाते में हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किया गया है तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करनें हेतु विभागीय स्तर से समय–समय पर स्मार पत्र निर्गत किये गए है। परन्तु खेद है, इस निर्देश के अनुपालन हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी है तथा अभी तक इस मद की अवशेष राशि हस्तांतरित किया जाना बाकी है ।

ज्ञातव्य हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 31.03.2013 के बाद इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 31.10.2013 तक इस योजना के अन्तर्गत सभी अधूरे कार्यो को पूर्ण कर लिया जाय एवं सभी अदत्त दायित्वो (Outstanding Liabilities) का निवारण कर अवशेष राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाय। इस हेतु चिन्हित बैंक खाते की विवरणी निम्नवत है:–

खाता धारक का नाम– बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति–एन0आर0एल0एम0
बैंक का नाम – केनरा बैंक, विधुत भवन शाखा, बेली रोड पटना
खाता संख्या – 8531101010676
IFS Code – CNRB0008531

सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस कार्यक्रम हेतु खोले गए बैंक खाते में अद्यतन उपलब्ध अव्ययित राशि ग्रामीण आजीविका मिशन(SRLM) के उपर वर्णित खाते में हस्तानान्तरित कराये एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को भी दें।

7 MAR 2014

506
10/3/14

430
11.3.14

इस कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला स्तर पर खोले गये सभी बैंक खातो की बैंक समाधान विवरणी तैयार करने के उपरान्त लेखा पुस्तिकाओं को बंद कर अंतिम रूप से इस मद में व्यय की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्गत करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 31 मार्च 2014 तक जिला स्तर पर की गई कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आदेश ति0)

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक BRLPS/PRO/490/13/5786 दिनांक 06/3/2014

प्रतिलिपिः 1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रषित। उनसे अनुरोध है कि कृपया अनुपालन सुनिश्चित करायें।

2/06.03.14

(आदेश ति0)

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी